भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4137
24 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

4137. श्री रमेश बिन्द:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) योजना की प्रगति का आकलन करने और उसकी निगरानी करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई नई पहल की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जिसे राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन एवं मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। यह सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा हर साल आयोजित एक बड़े पैमाने पर किया जाने जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) एक व्यापक सर्वेक्षण है जिसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन और संचारी रोगों जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संकेतक शामिल हैं। क्षय रोग (टीबी), एचआईवी-एड्स और अन्य संचारी रोगों जैसे विशिष्ट रोगों पर कार्यक्रम-विशिष्ट रिपोर्टों से डाटा तैयार किया जाता है। ये स्रोत सामूहिक रूप से स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एसआरएस और एनएफएचएस की पिछले तीन वर्षों की रिपोर्टों को क्रमशः निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
(i) https://censusindia.gov.in/census.website/data/SRSSTAT
(ii) http://rchiips.org/nfhs/

(ग) और (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी समतामूलक, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

28.02.2023 तक, उत्तर प्रदेश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए मौजूदा एसएचसी और पीएचसी को अपग्रेड करके कुल 21,986 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) संचालित किए गए हैं, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और स्वास्थ्य लाभ सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, मुफ्त और समुदाय के करीब होती हैं।

15वें वित्त आयोग ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 के भाग के रूप में घोषित 'स्थानीय सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदानों' में पांच साल (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियां को दूर करना है।

*****